न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर—प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 102 / 2024 GCMS No.—2024/38

रवि कुमार शर्मा पुत्र श्री मेघनाथ शर्मा, निवासी प्लाट नंबर 110 / 1 मालवीय नगर, जयपुर।
...अपीलांटस

बनाम

1 गंगाराम पुत्र भौरया
2. रामसहाय पुत्र भौरया
3. रामरतन पुत्र स्वर्गीय छाजू
4. दयाचन्द पुत्र छाजू
5. हेमराज पुत्र छाजू
6. कानी देवी पत्नि स्वर्गीय छाजू
7. संतरा पुत्री स्वर्गीय छाजू
8. सावित्री पुत्री छाजू
9. तूफान पुत्र धन्ना
10. नाथू पुत्र धन्ना
11. त्रिलोक चन्द पुत्र गोदू
12. दीपक पुत्र भगवान सहाय
13. राजेश पुत्र भगवान सहाय
14. नाथी पुत्री भगवान सहाय
15. सुगना पुत्री भगवान सहाय
16. सुशीला पुत्री भगवान सहाय
17. सीमा पुत्री भगवान सहाय
18. नितेश पुत्र सुरेश
19. रोहित पुत्र सुरेश
20. राजू देवी पत्नी सुरेश
21. प्रभू पुत्र नारायण
22. रेवड पुत्र नारायण
23. मंगली देवी पत्नी नारायण
24. रामस्वरूप पुत्र गोपाल
25. बिरदीचन्द पुत्र गोपाल
26. प्रेम देवी पुत्री गोपाल

समस्त जाति रैगर, निवासीयान रैगरो की ढाणी, ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।

27. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
28. तहसीलदार सांगानेर, तहसील कार्यालय सांगानेर, जयपुर।

............रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1433 (ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर) दिनांक 20.10.2023, तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।

उपस्थितः—

1. श्री मंगल चन्द बागडा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 26 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 30.08.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सांगानेर के निर्णय दिनांक 20.10.2023 जिससे नामान्तरकरण संख्या 1433 वाके ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 26 के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 30.07.2024 को

न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 26 की ओर से अधिवक्ता श्री रामअवतार शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 28 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 27 का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ। वकील उभय पक्ष की सहमति के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण की छायाप्रति के आधार पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमो ही बहस माने जाने का कथन किया एवं अधिवक्ता रेस्पा0 सख्या 1 लगायत 26 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सत्यमेव जयते जयपुर (राज.)

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो में अंकित तथ्यों अनुसार ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर स्थित अपीलाधीन भूमि जो कि रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 26 की खातेदारी भूमि थी। रेस्पाडेन्ट एवं उनके पूर्वजो द्वारा दिनांक 12.06.2004 को जरिये अनुबन्ध पत्र मैसर्स बालाजी कोलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स भागीदार दिनेश शर्मा को विक्रय कर दिया था व वर्ष 2004 में फर्म के अन्य पार्टनर नन्दलाल चौधरी को रेस्पाडेन्ट स्वयं ने व उनके पूर्वजो ने अपना मुखत्यारआम नियुक्त कर दिया तत्पश्चात आम मुख्त्यारआम नन्दलाल चौधरी ने उक्त वर्णित भूमि की 90बी की कार्यवाही करने हेतु रेस्पा0 संख्या 27 के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण संख्या 2/2005 दर्ज कर विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.02.2005 को उक्त वर्णित भूमि सहित अन्य खसरा नंबरान की 90बी की कार्यवाही की गई और 90बी के आदेश की पालना में उक्त भूमि रेस्पा0 संख्या 27 के नाम दर्ज हो गयी। उक्त वर्णित भूमि में आवासीय कॉलोनी में एक भूखण्ड संख्या ए–7 क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज का कब्जा पत्र अपीलांट के नाम जारी किया तथा कब्जा सुपुर्द कर दिया जिसका अपीलांट एकमात्र मालिक स्वामी है। हाल रेस्पाडेन्ट व उसके मुख्त्याआर आम द्वारा उसी समय आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उक्त आवासीय योजना का नियमन करवा कर जे.डी.ए. से पट्टे जारी करवा देगें। हाल में रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 26 के मन में बेईमानी आ जाने से उक्त भूमि के 90बी होने के 18 वर्ष पश्चात रेस्पाडेन्ट्स ने 90बी आदेश दिनांक 09.02.2005 को रिवर्सन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे जे.डी.ए. द्वारा खारिज कर दिया तो रेस्पाडेन्ट ने विधि विरूद्ध तरीके से विधिक प्रावधानो के विपरीत जाकर 90बी आदेश दिनांक 09.02.2005 के विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी विधि विरूद्ध तरीके से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिनांक 12.07.2023 को विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। तत्पश्चात दिनांक 19.07.2023 को प्राधिकृत अधिकारी जोन–9 का भी जे. डी.ए. कर्मचारियो से मिलीभगत से एक फर्जी पत्र जारी किया गया। उक्त कार्यवाही के आधार पर तहसीलदार सांगानेर के हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.10.2023 को विधि विरूद्ध तरीके से जे.डी.ए. का नाम हटा कर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 26 के नाम भूमि दर्ज कर दी एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1433 तस्दीक कर दिया। रेस्पा0 द्वारा

30/8/24
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष विचाराधीन निगरानी में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया। दिनांक 25.07.2024 को अपीलांट को उसकी भूमि से बेदखल करने की रेस्पा0 द्वारा धमकी दी गई तब अपीलांट ने समस्त तथ्यो की पडताल की तब अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुयी। तत्पश्चात अपीलांट ने अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर आदेश दिनांक 20.10.2023 द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1433 निरस्त किये जाने कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 26 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यो अनुसार अपीलाधीन नामान्तकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 12.07.2023 के अनुसरण में खोला गया है। अपीलाधीन भूमि रेस्पाडेन्ट्स के पूर्वजो की भूमि है। अपीलांट द्वारा दिनांक 12.06.2004 को अनुबंध पत्र मैसर्स बालाजी कॉलोनाईजर्स जरिये दिनेश शर्मा को विक्रय करना बताया है जो गलत है। उक्त अनुबंध पत्र मात्र 2 प्रतिशत कमीशन लेने का है और उक्त अनुबंध पत्र के तहत समस्त अधिकार खातेदारो के पास सुरक्षित है। उक्त अनुबंध पत्र राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का उल्लंघन है। वर्ष 2004 में नन्दलाल चौधरी को 90बी की कार्यवाही करवाने हेतु नियुक्त किया गया था, उक्त मुख्त्यारआम में खातेदारो ने बेचान नहीं किया व कब्जा नहीं दिया। पुलिस थाना रामनगरिया में फर्जी व कूटरचित कब्जा पत्र जारी किये जाने के संबंध में दिनेश शर्मा व नन्दलाल चौधरी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवायी गयी जिसमें अनुसंधान जुर्म प्रमाणित माना गया है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में खोला है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 732/2023 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2023 के विरूद्ध सिविल संख्या 19896/2023 माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गयी जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बिना अपीलाधीन नामान्तकरण में विधिक प्रावधानो के अनुसार कोई परिवर्तन किया जाना अनुचित है। अतः वकील रेस्पा0 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार सांगानेर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश के आधार पर तस्दीक किया है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यो एवं रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 26 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर गौर किया गया एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

30/8/24
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

नामान्तकरण की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1433 वाके ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 12.07.2023 एवं तहसीलदार सांगानेर के आदेश कमांक भू.अ./विविध/2023/5537 दिनांक 19.07.2023 की पालना में भरा गया। जिसे तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि पर स्थगन, अवाप्ति, माफी मंदिर से प्रभावित नहीं होने से जयपुर विकास प्राधिकरण से रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 26 के नाम दर्ज किया। उपायुक्त जोन 9 जविप्रा जयपुर द्वारा जरिये पत्रांक दिनांक 13.06.2024 द्वारा तहसीलदार सांगानेर से जवाब मांगा गया जिसके संबंध में तहसीलदार सांगानेर द्वारा जवाब दिनांक 24.06.2024 में पटवारी हल्का दांतली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दस्तावेज, राजस्व मण्डल के निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी। अपीलाधीन भूमि के संबंध में रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 26 को खातेदारी अधिकार माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 12.07.2023 से प्राप्त हुए है।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 26 द्वारा दुर्गालाल पुत्र जयकिशन को अपीलाधीन भूमि के संबंध में रजि0 विक्रय अनुबंध किये जिसके आधार पर ही नायब तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण तस्दीक कर दिये गये, इन नामान्तकरणों के विरूद्ध रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 26 के द्वारा न्यायालय हाजा में अपीले पेश की गयी जिनमें न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 29.04.2024 द्वारा रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 26 द्वारा प्रस्तुत अपीले स्वीकार कर नामान्तकरण खारिज किये गये।

अपीलांट द्वारा जिस अनरजिस्टर्ड अनुबंध पत्र के आधार पर अपील पेश की है उसके संबंध में पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अनुबंध पत्र वादग्रस्त भूमि के खातेदारो एवं मैसर्स बालाजी कॉलोनाईजर्स जरिये दिनेश शर्मा के मध्य 100 रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया। जिसके पश्चात रेस्पा0 द्वारा मुख्त्यारआम नन्दलाल चौधरी को बनाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर पूर्व की रिपोर्ट अनुसार उक्त अनुबंध पत्र एवं मुख्त्यारआम के संबंध में रेस्पा0 द्वारा एफआईआर 311/2022 पुलिस थाना रामनगरिया में दर्ज करायी गयी जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में साक्ष्यो एवं रिकॉर्ड के विश्लेषण से काश्तकारो (रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 26) द्वारा आरोपियान के हक में किये गये मुख्तयारनामा आम एवं अनुबंध पत्र की आड में आरोपियान द्वारा काश्तकारान की जमीन के अनुमोदित होने से पूर्व ही फर्जी रूप से पजेशन लेटर/पट्टे जारी करने की आपराधिक घटना कारित करने से आरोपियान नन्दलाल चौधरी व दिनेश शर्मा के खिलाफ अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी आईपीसी में प्रमाणित माना है।

30/9/24
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अपीलाधीन भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य की है एवं अपीलाधीन प्रकरण में विवादित भूमि का अनुबंध पत्र व्यक्तिगत हैसियत से दिनेश शर्मा द्वारा किया गया है इसलिए प्रकरण में प्रथम दृष्टया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लघंन

किया जाना जाहिर होता है। धारा 42 में निहित प्रावधानो अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा भिन्न जाति के सदस्यो को किये गये हस्तान्तरण के आधार पर उसके पश्चात किया गये हस्तान्तरण भी शून्य होने के कारण किसी प्रकार का हक प्रदान नहीं करते है।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन के आधार पर अपीलाधीन प्रकरण में नामान्तकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 12.07.2023 की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 12.07.2023 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सिविल याचिका संख्या 19896/2023 विचाराधीन है। इसलिए माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के अस्तित्व में होने से अपीलाधीन नामान्तकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/8/24

(सुरेश कुमार नवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर